न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 39 / 2018

1. उगर सिंह पुत्र श्री तेजमल जाति जैन निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. भंवर पुत्र मला जाति रावत निवासी मियांपुर तहसील अजमेर
2. बरजी पत्नि भोला सिंह जाति रावत निवासी मियांपुर तहसील अजमेर
3. आनन्द सिंह पुत्र कानसिंह जाति रावत निवासी उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. मोहन सिंह पुत्र कानसिंह जाति रावत निवासी उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. उदयसिंह पुत्र कानसिंह जाति रावत निवासी उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
6. मेवा सिंह पुत्र कानसिंह जाति रावत निवासी उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
7. सोहन सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति रावत निवासी उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
8. मोड सिंह पुत्र पुत्र कानसिंह जाति रावत निवासी उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, भिनाय तहसील कार्यालय भिनाय जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी ने इस वाद में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय भू. अभिलेख निरीक्षक भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 342 में दर्ज खसरा नं. 580 रकबा 0.22, 590 रकबा 0.38, 595 रकबा 0.06, 600 रकबा 0.58, खाता सं. 368 में दर्ज खसरा नं. 573 रकबा 0.18, 574 रकबा 0.17, 575 रकबा 0.19, 577 रकबा 0.22, 578 रकबा 0.45, खाता सं. 719 में दर्ज खसरा नं. 581 रकबा 0.30, 582 रकबा 0.10, 589 रकबा 0.50, 601 रकबा 1.86 हैं0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात हैं। जिसमें अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त हैं। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के सहस्वामी होकर वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक का सभी का समान बराबर हिस्सा हैं। उक्त वाद पत्र अनुसार वर्णित आराजीयात के सहस्वामी होकर अपने–अपने हिस्से अनुसार निरन्तर एवं निर्बाध रूप से लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहें हैं। हिस्से अनुसार सभी का बराबर–बराबर का हक व अधिकार हैं। अतः भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो इस बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया हैं। जिसे स्वीकार कर पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालतःन्याय आपके द्वार–2018 के तहत फोलोअप शिविर भिनाय में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्षकारान ने वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में आपसी राजीनामा अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर बैंच सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात में राजीनामा अनुसार भूमि विभाजन उचित ठहराया। बैंच सदस्यों द्वारा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए उपस्थित पक्षकारान का निवेदन न्यायोचित होने से स्वीकार किए जाने का निर्णय लिया गया। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री दी जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि बंटवारा प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक लगान व खाते कायम करें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.06.2018 को लोक अदालत शिविर में सुनाया गया।

सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय	सदस्य लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय	अध्यक्ष लोक अदालत उपखण्ड-भिनाय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.28 14:18:56 IST
Reason: SelfAttested